

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर:-30/2020


उनवान
सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्युकेशन महाविद्यालय बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत:- घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती

दिनांक:-22.02.2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह बुगालिया एवं राज्य सरकार की ओर से श्री श्रवण सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 22.02.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध नहीं होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।


(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	0
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	48		0


उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू